

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29.

फा.सं.7-1/2024-हिं.अ.

दिनांक: 19.08.2024

परिपत्र

विषय: भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने संबंधी।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग के बारे में तैयार वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केन्द्रों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु दिनांक 24.04.2024 को परिचालित किया गया था।


संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.06.2024 को निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत समिति द्वारा निर्णय लिया गया था कि राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संस्थान के सभी विभागों/अनुभागों/केन्द्रों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाएं:-

क्र.सं.	कार्य विवरण	निर्धारित लक्ष्य	अनुपालन का दायित्व
1	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित) i. "क" क्षेत्र से "क" क्षेत्र को ii. "क" क्षेत्र से "ख" क्षेत्र को iii. "क" क्षेत्र से "ग" क्षेत्र को iv. "क" क्षेत्र से "क" तथा "ख" क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	100% 100% 65% 100%	संस्थान के तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभाग/केन्द्र एवं सभी विभाग आदि।
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	
3	हिंदी में टिप्पण	75%	
4	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	शैक्षिक अनुभाग/सीमेट
5	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	भर्ती प्रकोष्ठ/ परीक्षा अनुभाग
6	हिंदी में डिक्टेसन/ की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	संस्थान के सभी संबद्ध संकाय/अधिकारीगण
7	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	हिंदी अनुभाग/सभी विभाग/केंद्र
8	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	शैक्षिक अनुभाग/सीमेट
9	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर,	50%	बी.बी. दीक्षित पुस्तकालय/

	पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों आदि की खरीद पर किया गया व्यय		सभी केंद्र
10	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	भंडार अनुभाग(नि.का.)/ कंप्यूटर सुविधा/ सभी विभाग/केंद्र
11	वेबसाइट द्विभाषी हो	100% (द्विभाषी)	कंप्यूटर सुविधा/सभी केंद्र
12	नागरिक चार्टर तथा जन-सूचना बोर्डों आदि का द्विभाषी रूप में प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)	इंजीनियरी सेवा विभाग/सभी केंद्र
13 (I)	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)	हिंदी अनुभाग
(II)	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	
14	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	हिंदी अनुभाग
15	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	सभी विभाग/अनुभाग/ केंद्र/ हिंदी अनुभाग
16	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सम्पूर्ण कार्य हिंदी में हो।	40%	सभी विनिर्दिष्ट अनुभाग: स्थापना अनुभाग (नि.का.), लेखा अनुभाग (नि.का.)/ सभी केंद्र/ स्थापना अनुभाग (अस्पताल), भंडार अनुभाग (अस्पताल), संपदा अनुभाग, लेखन सामग्री अनुभाग (नि.का.)/ सभी केंद्र, परिवहन विभाग, कैफेटेरिया, छात्रावास अनुभाग, ई. एच. एस. कार्यालय, सुरक्षा विभाग

अतः भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति एवं संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा लिए गए उक्त निर्णय के अनुपालन में संस्थान के सभी सम्बद्ध विभागों/अनुभागों/केन्द्रों से अनुरोध किया जाता है कि कृपया सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के बारे में राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

इसे आवश्यक अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।



(दिव्या यानामदाला)

वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं
राजभाषा अधिकारी

वितरण:-

- सभी सम्बद्ध विभाग/अनुभाग/केन्द्र।
- तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रेषितकर्ता सभी 35 अनुभाग/केन्द्र।

प्रतिलिपि:-

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक)/चिकित्सा अधीक्षक महोदया के प्रधान निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदया के निजी सचिव।
- उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार/अधीक्षण अभियंता महोदय के निजी सचिव।
- प्रभारी-आचार्य (कम्प्यूटर सुविधा) - कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

नोट:

- "क" क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ख" क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चण्डीगढ़, दमन व दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- "ग" क्षेत्र में वे सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं जो "क" तथा "ख" क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए हैं।